संशोधन

संख्याः-15/2021/147/अडतीस-9-2021-500(39)/2013टी0सी0-1

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 27 अप्रैल, 2021**

विषयः-विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-2022 की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः-10/2021/133/अडतीस-9-2021-02(बजट)/2018टी0सी0, दिनांक-12.04.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-2022 की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद-फिरोजाबाद के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र-95, टूण्डला हेतु धनराशि आवंटित नहीं की गयी है, उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि वर्ष 2017 में सम्पन्न हुये विधान सभा सामान्य निर्वाचन में 95, टूण्डला विधान सभा से प्रो0 एस0पी0 सिंह बघेल, विधायक टूण्डला के रूप में चुने गये थे। तत्पश्चात वर्ष 2019 में सम्पन्न हुये लोक सभा सामान्य निर्वाचन में प्रो0 एस0पी0 सिंह बघेल आगरा लोक सभा क्षेत्र से सांसद चुने जाने के फलस्वरूप उनके द्वारा विधान सभा क्षेत्र टूण्डला से त्याग पत्र देने के कारण विधान सभा क्षेत्र टूण्डला में मा0 विधायक का पद रिक्त हो गया था। तत्पश्चात वर्ष 2020 में हुये विधान सभा उपचुनाव में विधान सभा क्षेत्र-95, टूण्डला से श्री प्रेमपाल सिंह धनगर, विधायक टूण्डला के रूप में चुने गये है। इस प्रकार वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र-95, टूण्डला में श्री प्रेमपाल सिंह धनगर, विधायक टूण्डला के रूप में कार्यरत है, जिनकी विधायक निधि की धनराशि शासन स्तर से आवंटित की जानी शेष है।

3- उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश संख्या-10/2021/133/अड़तीस-9-2021-02(बजट)/2018टी0सी0, दिनांक-12.04.2021 के प्रस्तर-6 में उल्लेख है कि विधान सभा क्षेत्र-95, टूण्डला रिक्त है तथा उक्त के दृष्टिगत उक्त शासनादेश के साथ संलग्न सूची-अ में विधान सभा क्षेत्र-95, टूण्डला के सामने अवमुक्त धनराशि रू0 00.00 दर्शायी गयी है। मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के दृष्टिगत विधान सभा क्षेत्र-95, टूण्डला हेतु धनराशि रू0 150.00 लाख (रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- तद्नुसार उपर्युक्त शासनादेश संख्याः-10/2021/133/अडतीस-9-2021-02(बजट)/2018टी0सी0, दिनांक-12.04.2021 एवं उसके साथ संलग्न सूची 'अ' इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय

के0 रविन्द्र नायक
प्रमुख सचिव।

संख्याः-15/2021/147(1)/अड़तीस-9-2021, तददिनॉक।
प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मा0 सदस्य विधान सभा/विधान परिषद द्वारा मुख्य विकास अधिकारी।
5- प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश ।
7- निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा, उ0प्र0।
8- निजी सचिव, मा0 सभापति विधान परिषद, उ0प्र0।
9- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
12- अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
13- समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0।
14- समस्त कोषाधिकारी उ0प्र0।
15- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
16- नियोजन अनुभाग-3/ग्राम्य विकास अनुभाग-3/गार्डबुक।

आज्ञा से,

लाल धीरेन्द्र राव
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in